संख्या: 19/2022/953 ई-2/तेरह-2022-141378

प्रेषक,

राजवीर सिंह,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ :दिनांक: 06 जून, 2022

विषय:-मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि., केमिकल डिवीजन, बलरामपुर की क्षमता 160 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर से बढ़ाकर 339 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 1186.50 लाख लीटर किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-162/दो-प्रा.डी.-38, दिनांक 11-05-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11-05-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि., केमिकल डिवीजन, बलरामपुर की क्षमता 160 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर से बढ़ाकर 339 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 1186.50 लाख लीटर किये जाने हेतु 179 कि.ली. क्षमता का डिस्टिलेशन प्लान्ट जिसके अन्तर्गत 170 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का अब्सोल्यूट अल्कोहल प्लान्ट स्थापित कर उसका उत्पादन एवं बिक्री की जायेगी, की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पादन किया जाएगा:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(क) इकाई द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स प्राप्त कर कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ.प्र.प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा|

(ख) आसवनी में विस्तारित क्षमता के अनुसार अल्कोहल उत्पादन किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ.प्र.प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा|

(ग) आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन करते हुए गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रेक्टिसेस(जी.एम.पी.) का प्रयोग कर अल्कोहल उत्पादन किया जाना अनिवार्य होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।